-

B. Ed. - 2011

बैचलर ऑफ एजुकेशन (**B. Ed.**) प्रवेश चयन 2011–12

प्रवेश चयन प्रक्रिया एवं नियम

-

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755–2551573 **फेक्स** : 0755–4231571

क्रमांक 2110/आउशि/11, भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2011

बी.एड. पाठ्यक्रम 2011–12 के प्रवेश नियम

अध्याय–1

1.0 प्रस्तावना

1.1 **सामान्य एवं उद्देश्य** – मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के अनुपालन में मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2011–12 हेतु **प्रवेश–नियम, 2011** जारी किये जा रहे हैं। ये प्रवेश नियम सत्र 2011–12 में बी.एड. एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के आवेदकों पर लागू होंगे। प्रदेश के अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार मेरिट के आधार पर **'एम0पी0 ऑनलाइन'** के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत प्रवेश होंगे। इन नियमों को मध्यप्रदेश में चल रहे एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में **प्रवेश नियम–2011** (संक्षेप में प्रवेश–नियम) कहा जाएगा। इस वर्ष प्रवेश ऑनलाइन होंगे, इस हेतु आवेदकों को एम0पी0 ऑनलाईन के कियॉस्क अथवा उसकी वेबसाइट पर अपना आवेदन पंजीकृत कराना होगा। ऑनलाइन पंजीयन के आधार पर चयनित होने मात्र से ही किसी प्रत्याशी को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा अपितु प्रवेश के समय आवेदक से अपेक्षित मूल प्रमाणपत्र पूर्णतः सही एवं नियमानुसार पाए जाने पर ही उसे प्रवेश की पात्रता होगी। अतः ऑनलाइन पंजीयन करने के पूर्व आवेदक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह चयन की पात्रता/योग्यता रखता है अथवा नहीं, यह उसका स्वयं का उत्तरदायित्व रहेगा।

प्रदेश की अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में बी.एड. (एक वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शिता एवं मेरिट के आधार पर होगी जिससे प्रदेश स्तरीय मेरिट के आधार पर महाविद्यालयों में प्रवेश का नियमन होगा।

ऑनलाइन पंजीयन के साथ–साथ आवेदक को सभी महाविद्यालयों के नाम प्राथमिकता के क्रम में देने होंगे। पंजीयन के साथ ही आवेदक को बी0एड0 प्रवेश हेतु निर्धारित किसी भी शासकीय हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर पंजीयन के समय प्रस्तुत जानकारियों का अभिप्रमाणीकरण हेल्प सेंटर के प्राचार्य अथवा

-
उसके द्वारा अधिकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व करवाना होगा। अभिप्रमाणीकरण करवा चुके आवेदकों की मेरिट सूची के ऑनलाइन प्रकाशन एवं प्रत्येक बी.एड. महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणियों में लोवर कटऑफ की जानकारी के साथ सीट–आवंटन–पत्र (**Seat-Allotment-Letter**) जारी किये जावेंगे। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (**Original T.C.**) एवं शुल्क राशि रू. 20000/– का डिमांड ड्राफ्ट प्रवेशित बी0एड0 महाविद्यालय के नाम बनाकर अग्रणी महाविद्यालय अथवा चिन्हित महाविद्यालय में जमा किये जावेंगे। इसके पश्चात् ही आवेदक का प्रवेश पूरा होगा।

1.2 अधिकार :

(अ) ये नियम कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्रदत्त अधिकार से जारी हुये हैं।

(ब) बी.एड. में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के चयन संबंधी नीति निर्धारित करने के लिये राज्य शासन को सभी अधिकार रहेंगे। इन नियमों की व्याख्या करने तथा प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर निर्णय देने के लिये राज्य शासन पूर्ण सक्षम होगा तथा उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे ।

(स) राज्य शासन इन प्रवेश नियमों व प्रवेश प्रक्रिया को बदलने एवं इनमें संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

(द) प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर आयुक्त, उच्च शिक्षा को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा जिस पर आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

1.3 **प्रभावशीलता** : ये नियम प्रदेश में **''एक वर्षीय बी.एड.''** पाठ्यक्रम संचालन करने वाली समस्त अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले प्रत्याशियों एवं संस्थाओं पर प्रभावशील होंगे।

1.4 विभिन्न संस्थाओं में सीटें :

(क) मध्यप्रदेश में बी.एड. प्रवेश–चयन 2011 द्वारा एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त प्रत्याशी निम्नानुसार विभाजित होंगे:

(1) सामान्य वर्ग (2) अनुसूचित जाति (3) अनुसूचित जनजाति, (4) अन्य पिछड़ी जाति (5) बाहरी राज्य के अभ्यर्थी

संस्था में उपलब्ध सीटों का श्रेणी एवं वर्गवार आवंटन कण्डिका क्रमांक 1.5 एवं उसकी उपकण्डिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था की कुल उपलब्ध सीटों में से 75 प्रतिशत राज्य के निवासियों द्वारा तथा अधिकतम 25 प्रतिशत तक प्रदेश से बाहर के निवासियों द्वारा भरी

जायेंगी। **<u>प्रदेश के बाहर के विद्यार्थियों को आरक्षण की पात्रता नहीं होगी।</u>**

(ख) संविधान के 93 वें संशोधन के अनुसार अल्पसंख्यक संस्थाओं में 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक श्रेणी हेतु तथा 50 प्रतिशत स्थान अन्य श्रेणी के लिये रहेंगे। इसमें अजजा/अजा/पिछड़े वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा।

(ग) (i) यदि राज्य के बाहर के आवेदकों के प्रवेश के पश्चात् भी स्थान रिक्त रहते हैं तो प्रवेश के तृतीय चरण में उपलब्ध स्थानों पर राज्य के पंजीकृत आवेदकों को पात्रतानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ii) महिला महाविद्यालयों में पुरूष आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

1.5 **बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रताः** प्रत्येक प्रत्याशी को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्ते पूर्ण करना आवश्यक हैं।

1.5.1 **शैक्षणिक योग्यता :**

प्रवेश हेतु सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिऐ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक निर्धारित है।

1.5.2 **मध्यप्रदेश के मूल निवासी की शर्ते :**

(i) जो भारत का नागरिक हो।

(ii) (क) जिसने वर्ष 2006 से वर्ष 2011 के पॉच वर्षो की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षो तक अध्ययन किया हो।

(प्रमाण पत्र प्रारूप–6)

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो ।

(प्रमाण पत्र प्रारूप–7)

-

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री/पत्नी हो :

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी

(प्रमाण पत्र प्रारूप–8{अ})

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2009 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो ।

(प्रमाण पत्र प्रारूप–8 {ब})

अथवा

3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो (प्रमाण पत्र प्रारूप–9)

स्पष्टीकरण–1

मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासीः उम्मीदवार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई शर्तो – (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगाः

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो,

अथवा

उम्मीदवार स्वयं या उसके पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध

-

अभिभावक (देखे स्पष्टीकरण–2) मध्यप्रदेश में निरन्तर 15 वर्ष से रह रहा/रही हों।

अथवा

उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्षो से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल सम्पत्ति रखता हो,

और

(ब) उसने मध्यप्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो, जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी ।

अथवा

उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप–7 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र के संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

<u>**स्पष्टीकरण–2**</u>

अभिभावक

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी सम्पति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

-

<u>स्पष्टीकरण–3</u>

दत्तक पुत्र/पुत्री

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/स्नातक भाग–एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

2. सीटों का आरक्षण :

आरक्षण प्रतिशत : मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित **75** प्रतिशत सीटों में से विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

1. अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए **16** प्रतिशत ।
2. अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिये **20** प्रतिशत।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत छोड़कर) के प्रत्याशियों के लिये **14** प्रतिशत। सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गो का आरक्षण निम्नानुसार होगा :
    1. सैनिक सवंर्ग के प्रत्याशियों के लिये **03** प्रतिशत।
    2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों के लिए **03** प्रतिशत।
    3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये **03** प्रतिशत।
    4. विधवा/परित्यक्ता के लिये **01** प्रतिशत।

-

महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) हैं। किन्तु कुल सीटों की 30 प्रतिशत सीटों पर क्वालीफाईंग अंक प्राप्त महिलाओं को उनकी मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

2.1 **प्रदेश के बाहर** के आवेदकों के लिए आवंटित (25%) सीटों में भी 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी।

2.2 **आरक्षित श्रेणियों व संवर्गो की परिभाषा :**

(1) **मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :**

(क) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के **अनुच्छेद 341** के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति।

(ख) अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के **अनुच्छेद 342** के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति।

(ग) ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की **अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी** में होने संबंधी पात्रता का दावा करता हैं, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग {आरक्षण प्रकोष्ठ} का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 देखें) {प्रमाण पत्र प्रारूप 1(अ) अथवा 1(ब)}

(2) **मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी** : में होने संबंधी पात्रता का दावा करता हैं, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग {आरक्षण प्रकोष्ठ} का आदेश क्रमांक एफ–7–2–96/आ.प्र./एफ, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ–7–16–2000/आ.प्र./एक, दिनांक 07 जुलाई, 2000) को देखें।

(प्रमाण पत्र प्रारूप– 2{अ} अथवा 2{ब})

2.3 **सैनिक संवर्ग (एस)** : कुल सीटों की तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी।

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान

-

मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस

आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होगें। (प्रमाण पत्र प्रारूप– 3{अ} एवं 4)

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा । (प्रमाण पत्र प्रारूप–7)

अथवा

वह 1 जनवरी, 2009 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश मे पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप–3{ब})

टिप्पणीः सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

2.4 **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग (F.F.)** – कुल सीटों की तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों /नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 1.5.2 के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं।

टिप्पणीः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

-
द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैद्य प्रमाण पत्र होगा। (प्रमाणपत्र – प्रारूप 5)

2.5 **निःशक्तजन (विकलांग):** कुल सीटों का तीन प्रतिशत सीटें क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगी। इस संवर्ग की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.6 **विधवा/परित्यक्ता:** इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी एक विधवा/परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला सीटों के अंतर्गत एक प्रतिशत सीट विधवा/ परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।

2.7 यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश का दावा करने हेतु प्रपत्र–9 में उल्लेखित किये गये।

2.8 प्रारूप में विहित अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.9 **आरक्षित वर्ग की रिक्त सीट्स के संबंध में –**

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित स्थान यदि रिक्त रह जाऐंगे तो वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान रिक्त रहने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जाऐंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। इन तीनों श्रेणियों एवं बाह्य राज्यों के उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त रह गई सीटों पर तृतीय चरण में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

3.0 **प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त रूपरेखा :**

3.1 **प्रवेश हेतु विज्ञापन :** राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के हिंदी एवं अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों, एम.पी. ऑनलाइन एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करना ।

3.2 **एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन :**

- ***पंजीयन के लिये अवधि:*** विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिन
- ***पंजीयन शुल्क:*** सभी श्रेणी के लिये रू. 5200/– (यह राशि शिक्षण शुल्क में समायोजित होगी)
- पंजीयन का प्रारूप एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

-

- ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत आवेदक को **अभिस्वीकृति–पत्र** (**Acknowledgement-Slip**) जारी किया जावेगा, जिसमें आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर मुद्रित होंगे। इस प्रपत्र को हेल्प सेंटर पर अभिप्रमाणीकरण के समय आवेदक स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेगा। जानकारियों का मूल प्रमाण पत्रों से अभिप्रमाणीकरण हेल्प सेंटर के अधिकारियों से करवाना होगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हेल्प सेंटर के अधिकारी Acknowledgement-Slip पर अंकित कर अपने हस्ताक्षर के साथ सील लगायेंगे।
- पंजीयन के पश्चात् आवेदकों को शासकीय अग्रणी महाविद्यालय अथवा निर्दिष्ट सहायता केन्द्रों (प्रदेश के अन्य शासकीय महाविद्यालय) पर जाकर अपने समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। दस्तावेजों के सत्यापन नहीं कराये जाने पर आवेदक बी0एड0 महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अपनी वरीयताओं को लॉक नहीं कर पायेंगे एवं उनके आवेदन प्रवेश हेतु मान्य नहीं होंगे। अन्य राज्यों के आवेदक अपने दस्तावेजों का सत्यापन मध्यप्रदेश राज्य के नजदीकी सहायता केन्द्रों/अग्रणी महाविद्यालयों में उपस्थित होकर करवा सकेंगे।
- अन्य चरणों में वरीयता व्यक्त करते समय रूपये 50/– शुल्क देय होगा।

4.0 प्रमाण–पत्रों का अभिप्रमाणीकरण एवं काउंसिलिंग

4.1 स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांकों (दोनों में जो अधिक हो) एवं विद्यार्थी व्दारा दिये गये विकल्पों के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए **गुणानुक्रम अनुसार मेरिट की सूची** एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट पर जारी की जावेगी।

4.2 पंजीयन के उपरांत वेबसाइट पर आवेदकों हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर सीट आवंटन पत्र जारी किये जावेंगे। मेरिट सूची में, पंजीयन के समय दिये गये प्राथमिकता क्रम से सीट की उपलब्धता के आधार पर आवेदक को सीट आवंटित कर दी जावेगी तथा आवेदक को सीट आवंटन पत्र (Seat Allotment Letter) जारी किया जावेगा। आवेदक इंटरनेट पर एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल https://www.mponline.gov.in पर अपना पंजीयन क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. एवं जन्मतिथि डालकर लॉगइन कर सीट आवंटन पत्र प्राप्त कर सकेगा।

4.3 ऑनलाइन सीट आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् आवेदक को आवंटित महाविद्यालय से संबंधित जिले के शासकीय अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्य द्वारा प्राधिकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक से पंजीयन के समय प्रस्तुत समस्त अभिलेखों का अभिप्रमाणीकरण मूल अभिलेखों से कराना अनिवार्य होगा। अभिप्रमाणीकरण के समय आवेदक को अभिस्वीकृति पत्र, सीट आवंटन पत्र (दो प्रतियों में) एवं मूल स्थानांतरण

-

प्रमाण–पत्र तथा सभी मूल दस्तावेजों एवं उनकी छायाप्रतियां साथ लेकर जाना होगा।

अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्य द्वारा प्राधिकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक से सभी प्रमाण–पत्रों का अभिप्रमाणीकरण करके मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र को निरस्त करते हुए उस पर हस्ताक्षर करेंगे एवं सील भी लगायेंगे तथा निरस्त स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) को अपने पास रखते हुए सीट आवंटन पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे। अभिप्रमाणीकरण के बाद निरस्त टी.सी. आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य को अग्रणी महाविद्यालय द्वारा सौपी जायेगी। अभिप्रमाणीकरण के विस्तृत नियम कंडिका–8 में उल्लेखित है।

4.4 महाविद्यालय आवंटन (ऑनलाइन काउंसिलिंग) के समय आवेदक को शेष शुल्क राशि रू. 20000/– संबंधित कालेज के नाम से बैंक ड्राफ्ट अग्रणी महाविद्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा करनी होगी। समयावधि में राशि नहीं जमा करने पर प्रवेश आवंटन स्वयंमेव निरस्त हो जाएगा।

4.5 अभिप्रमाणीकरण एवं शुल्क राशि के ड्राफ्ट को जमा करने के पश्चात् आवेदक बी.एड. महाविद्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। आवदेक को महाविद्यालय से संबंधित अन्य कार्यवाही जैसे परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्र बनवाना इत्यादि का कार्य आवंटित महाविद्यालय में ही पूर्ण करना होगा।

5.0 चयन एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया :

5.1 पात्र ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों (दोनों में से जो अधिक हो) के प्रतिशत पर आधारित रैंक/मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

5.2 ऑनलाइन पंजीयन करने का मुख्य उददे्श्य आवेदकों की मेरिट सूची तैयार करना है तथा दिये गये महाविद्यालयों के विकल्पों की प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय में सीट आवंटित करना है। सीट आवंटन प्रक्रिया प्रमाण पत्रों के अभिप्रमाणीकरण के उपरांत अग्रणी महाविद्यालय में शुल्क जमा करने पर पूर्ण होगी।

5.3 यदि आवेदक द्वारा दिये गये महाविद्यालयों के विकल्पों में से उसे प्रवेश नही मिलता तब उसे उपलब्धता के आधार पर द्वितीय चरण में किसी अन्य महाविद्यालय के चयन की सुविधा प्रदान की जायेगी। अर्थात् आवेदक को चाहिये कि वे अधिक से अधिक महाविद्यालयों का विकल्प चयन हेतु दे

-

ताकि मेरिट के आधार पर उनका चयन प्रथम चरण में ही सुनिश्चित किया जा सके।

5.4 यदि किन्ही दो आवेदकों का स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्त अंक का प्रतिशत एक समान हो तो जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जाएगी।

5.5 यदि किसी आवेदक का चयन उसके द्वारा दिये गये प्राथमिकता की किसी भी संस्था में मेरिट सूची के आधार पर नहीं होता है तो उस स्थिति में आवेदक अपनी पंजीयन राशि वापिस ले सकता है अथवा द्वितीय चरण में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु महाविद्यालयों का पुनः विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। 5 जिलों की जानकारी भी ली जाएगी जिसमें अंतिम चरण में जिले के कालेज आवंटित किये जा सकेंगे।महाविद्यालयों की वरीयता प्राप्त नहीं होने पर एम.पी. ऑनलाईन अपने विवेक से महाविद्यालय आवंटित कर सकता है।

5.6 जिला आवंटन के चरण में महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों के 50 % सीटों हेतु प्रतीक्षा सूची भी गुणानुक्रम एवं महाविद्यालय की वरीयता के अनुसार जारी की जायेगी।

5.7 अंतिम काउंसलिंग के पश्चात् सीटे रिक्त रहने पर, तथा संस्थाओं की सहमति के उपरांत विकलांग, महिला तथा 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त विद्यार्थियों का स्थानांतरण एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय किया जा सकेगा। स्थानांतरण होने पर प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा 10 प्रतिशत शुल्क कटौति कर स्थानांतरित महाविद्यालय को भुगतान की जायेगा। शेष 10 प्रतिशत राशि पृथक से विद्यार्थी द्वारा स्थानांतरित महाविद्यालय में जमा की जायेगी। इस प्रकार स्थानांतरण की कार्यवाही प्रक्रिया समाप्त होने के एक माह तक या 11 मार्च, 2012 मे सम्पन्न की जायेगी।

6. **प्रवेश का निरस्तीकरण** : यदि यह पाया गया कि कोई प्रत्याशी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने से या किसी त्रुटि या अनदेखी के कारण संस्था में प्रवेश पा गया है तो यह बात संज्ञान में आते ही अध्ययन के दौरान प्रत्याशी का प्रवेश उसे बिना कोई सूचना दिये गये तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और उसे तत्काल संस्था छोड़नी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में समस्त शुल्क राजसात कर लिया जावेगा।

7. **शुल्क वापसी** :

7.1 ऑनलाईन पंजीयन कराने वाले आवेदक को यदि बी0एड0 महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है तो आवेदक की पंजीयन राशि प्रक्रिया शुल्क काटकर वापिस कर दी जायेगी।

-

7.2 यदि आवेदक ने 20000/– रूपये जमा कराकर बी.एड. महाविद्यालय में सीट आवंटित कर लेने पर अर्थात् प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त करने के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा।

8. 8.1 **प्रमाण पत्रों का सत्यापन** : प्रत्याशियों के अभिलेखों का सत्यापन जिले के अग्रणी महाविद्यालयों अथवा निर्दिष्ट सहायता केन्द्रों (प्रदेश के अन्य शासकीय महाविद्यालय–सूची संलग्न) के प्राचार्य/प्राचार्य द्वारा प्राधिकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक द्वारा पंजीयन के पश्चात् विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक सूचियों के आधार पर किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदक ऑनलाईन व्यक्त बी0एड0 महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अपनी वरीयताएं लॉक कर सकेंगे। प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के बिना आवेदकों के आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदकों की होगी।

8.2 सीट आवंटन के पश्चात् अग्रणी महाविद्यालय के अधिकारी आवेदक की मूल टी.सी. को (स्थानातरण प्रमाण–पत्र) को परीक्षण उपरांत निरस्त करते हुए अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं सील भी लगायेंगे। यदि प्रवेश के बाद भी प्रत्याशी की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई कमी पायी जाती है या उसके मूल प्रमाण–पत्रों अथवा दस्तावेजों के जाली पाये जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं विद्यार्थी द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क राशि राजसात कर लिया जायेगा एवं ऐसे आवेदक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

अग्रणी महाविद्यालय काउंसलिंग प्रक्रिया के संबंधित चरण की समाप्ति के पश्चात् निरस्त किये गये स्थानांतरण प्रमाण–पत्र एवं प्रवेश शुल्क रूपये 20000/– के ड्राफ्ट सूचीबद्ध कर संबंधित बी0एड0 महाविद्यालयों को सौपेंगे। समस्त बी0एड0 महाविद्यालयों के प्राचार्य बी0एड0 महाविद्यालय के नाम से खाता खुलवायेंगे जिसमें छात्रों द्वारा प्रस्तुत उनके महाविद्यालय के नाम से बनाये गये ड्राफ्ट जमा करवा सकेंगे।

8.3 **त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रमाण पत्र** : यदि आरक्षित वर्ग की सीट हेतु मध्यप्रदेश का मूल निवासी या किसी अन्य दावे हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कागजात गलत या अपूर्ण पाये गये तो अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर देंगे तथा इसकी लिखित

सूचना एम.पी. ऑनलाइन एवं आयुक्त,उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन को देंगे।

8.4 ऑनलाइन पंजीयन करते हुए आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण–पत्रों से भरी गई जानकारी का मिलान अवश्य कर लें। विसंगति पाये जाने पर उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा एवं उनका नाम मेरिट सूची में नहीं आयेगा अर्थात् वे प्रवेश से वंचित हो जावेंगे। जन्मतिथि, पत्र व्यवहार का पता, स्वयं का मोबाइल नंबर एवं प्रवेश हेतु अपनी वरीयताएं (कम से कम 50 महाविद्यालये) अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ले कि उनके ऑनलाईन आवेदन में ठीक प्रकार से भरे गये हैं।

8.5 आवेदकों को सीट आवंटन संबंधी सूचना उनके मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. एवं ईमेल पर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त दूरस्थ अंचलों के छात्र–छात्राओं की सुविधा हेतु रजिस्टर्ड डाक से तय समय में सूचित किया जाएगा। इस हेतु छात्र–छात्राओं को स्वयं पता लिखा लिफाफा, जिसपर डाक टिकिट लगा हो, एम.पी.ऑनलाईन में प्रस्तुत करना होगा।

8.6 उपरोक्त प्रकिया के उपरांत सीट रिक्त रहने पर अंतिम चरण की काउसंलिग एक सप्ताह के अन्दर कराई जायेगी जिसमें म0प्र0 के मूल निवासी विद्यार्थी ही प्रतिभागी होंगे।

नोटः पंजीयन एवं सीट आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई या सहायता के लिये एम.पी. ऑनलाइन के दूरभाष क्रमांक. 0755–4019401, 4019402, 4019403, 4019404, 4019405, 4019406 एंव 2551573 पर संपर्क किया जा सकेगा।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, म.प्र. भोपाल

-

प्रमाण पत्रों का प्रारूप

प्रारूप–1(अ): <u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र</u>

अनुभाग.........................जिला............................ मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.................................. प्रकरण क्रमांक ....
प्रमाण पत्र क्रमांक ....

जाति प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के संविधान अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ....पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये .... है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छे 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र मान्य होंगे: (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/डिप्टी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहत माध्यम्/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण–पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

-

प्रारूप–1(ब): <u>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र</u>

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण) (देखे नियम 2.2(1))

अनुभाग.................................... जिला ....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.. प्रकरण ....
प्रमाण पत्र क्रमांक ....

अस्थाई जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... पिता/पति का नाम .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति के संविधान अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये .... है।दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम पदनाम

यह प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

टिप्पणी :

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छे 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र मान्य होंगेः (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/डिप्टी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहत माध्यम्/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण–पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

-

प्रारूप–2(अ): <u>मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले</u>

(देखें नियम **2.2(2)**)

प्रमाण–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक ....   दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम .... के नाम निवासी है जो ... . जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग .... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (पिता का नाम) क्रीमीलियर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93.(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.03 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–7–16/2000/1/आ.प्र., दिनांक–6 जुलाई, 2000 की अनुसूची क्रमांक 6 आय/सम्पत्ति आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया है।

दिनांक

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणीः केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र मान्य होंगेः (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/डिप्टी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहत माध्यम्/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण–पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

-

प्रारूप–2(ब): <u>मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलियर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले</u>

(देखें नियम **2.2(2)**)

अस्थाई प्रमाण–पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पिता / पति का नाम .... के निवासी हैं जो ... . जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है।

श्री .... (पिता का नाम) और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग ....में निवास करता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... (पिता का नाम) क्रीमीलियर (सामान्य वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360 / 2 / 22 / 93 स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.03 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–7–16 / 2000 / 1 / आ.प्र., दिनांक–6 जुलाई, 2000 की अनुसूची क्रमांक 6 आय / सम्पत्ति आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया है।

दिनांक

(सील) हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

टिप्पणीः केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र मान्य होंगेः (अ) कलेक्टर / अतिरिक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / डिप्टी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहत माध्यम् / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण–पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियम जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

-

प्रारूप–3(अ) (देखें नियम 2.3)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक...................................... दिनांक...............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....जो विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2011 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/कुमारी ....के पिता/माता है।

अथवा

(अ) जिन्होंने स्थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पर पर सर्विस क्रमांक... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष............... ....में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दोरान वे स्थायी रूप से विकलांक हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मुत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान................................ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

दिनांक.............................. हस्ताक्षर

....

(कार्यालय सील)

-

प्रारूप–3(ब) (देखें नियम 2.3)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक...............................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2011 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/कुमारी ....के पिता/माता है।

(अ) जिन्होंने स्थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पर पर सर्विस क्रमांक... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। सेवा के दौरान उसकी मृत्यु वर्ष............... ....में हो चुकी है।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..पद पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन सेवा की है। सेवा के दोरान वे स्थायी रूप से विकलागं हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मुत्यु वर्ष .... में हो चुकी है।

स्थान................................ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
दिनांक............................. हस्ताक्षर

....

(कार्यालय सील)

-

(देखें नियम 2.3)

प्रारूप–4: भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाइ रूप से मध्यप्रदेश व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समख प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता हे कि श्री/श्रीमती/कुमारी.(आवेदक का नाम) .... जो विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2011 के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है, बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .... के पिता/पति/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील .... जिजा .... में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान .... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

कार्यालय सील

दिनांक ....

(देखें नियम 2.4)

प्रारूप–5: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी .... (आवेदक का नाम) श्री/श्रीमती .... (आवेदक के पिता/भाता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है। जो श्री/श्रीमती ....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।

(2) श्री/श्रीमती .... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला .... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (.........) में क्रमांक .... पर पंजीकृत है।

स्थान .... हस्ताक्षर कलेक्टर

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

दिनांक ....

-

(देखें नियम 1.5.2(ii)(क))

प्रारूप–6: वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक.............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री .... जो .... विश्वविद्यालय .... द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2011 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है। ने नियमित छात्र/छात्रों के रूप में इस संस्था.................... .... (संस्था का नाम) में सत्र ....से सत्र .... तक अध्ययन किया है।

स्थान .... संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम एवं पद ....

(कार्यालय सील)

-

(देखें नियम 1.5.2(ii)(ख))

प्रारूप–7: वास्तविक निवासी संबंध आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक...............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री .... जो तहसील .... जिला .... मध्यप्रदेश का/की निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है।

अथवा

(2) वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत् है।

अथवा

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवस्था रखते हैं। इसके अतिरिक्त

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(क) 10+ 2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान .... प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .... (कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

-

(देख नियम 1.5.2(ii)(ग–1))

प्रारूप–8(अ): वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जो .... विश्वविद्यालय .... द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2011 के आधार (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है, श्री/श्रीमती/कुमारी .... का/की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं।

(क) जो .... विभाग में ....पद पर .... (तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में .... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जो .... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में .... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में .... पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

स्थान .... कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .... (कार्यालय सील)

-

(देखें नियम 1.5.2(ii)(ग–2))

प्रारूप–8(ब): वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... जो .... विश्वविद्यालय .... द्वारा आमंत्रित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2011 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है, श्री / श्रीमती / कुमारी .... की / की पुत्र / पत्नी / पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी, 2011 अथवा उसके पूर्व के तिथि .... पद पर पदस्थ प्रतिरक्षा / केन्द्रीय–शासन / सार्वजनिक उपक्रम का / की कर्मचारी है।

स्थान .... कार्यालय प्रमुख / सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक .... नाम एवं पद ....

(कार्यालय सील)

(देखें नियम 1.5.2(ii)(ग–3))

प्रारूप–9: मध्यप्रदेश में पुर्नव्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... जो ... . विश्वविद्यालय .... द्वारा प्रमाणित बी.एड. प्रवेश चयन आवेदन पत्र वर्ष 2011 के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आवेदक है, श्री / श्रीमती / कुमारी .... का / की पुत्र / पत्नी / पुत्री है। जो .... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन / मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुर्नव्यवस्थापना योजना (Resettlernent Scheme) है।

स्थान .... हस्ताक्षर : कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक .... (कार्यालय सील)

-

-

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल
दूरभाष क्र.–0755–2551573, फैक्स–0755–4231572
बैचलर आफ एजुकेशन (**B.Ed.**) ऑन लाइन प्रवेश

सत्र 2011–2012 के लिये नवीन पंजीयन

मध्यप्रदेश के अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में बी.एड. (एक वर्षीय) पाठ्यक्रम में सत्र 2011–12 में प्रवेश के लिये पूरी प्रकिया वेबसाइट **mponline.gov.in** या **mp.gov.in/highereducationmp** पर ऑनलाइन उपलब्ध है। यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं मेरिट के आधार पर होगी। प्रवेश पूर्णतः ऑन लाइन ही होंगे।

1. प्रवेश हेतु पंजीयन : दिनांक 14 नवम्बर 2011 से 27 नवम्बर 2011 तक ऑनलाइन पंजीयन किया जायेगा।

2. पंजीयन शुल्क : रू. 5200/– शुल्क सभी वर्गों के आवेदकों द्वारा देय होगा। आवेदक प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर स्थापित एम.पी. ऑनलाइन के 2000 से अधिक अधिकृत कियोस्क में से किसी पर भी जाकर नगद भुगतान अथवा उपरोक्त वर्णित वेबसाइट पर घर बैठे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क भुगतान कर न्यूनतम (कम से कम) 50 महाविद्यालयों का चयन करते हुये अपना पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के उपरांत आवेदक को अभिस्वीकृति पत्र (**Acknowledgement letter**) जारी किया जावेगा, जिस पर उसका पंजीयन क्रमांक, ट्रान्जेक्शन आई.डी. एंव चयनित महाविद्यालयों की सूची अंकित होगी।

3. महत्वपूर्ण निर्देश : ऑनलाइन पंजीयन के आधार पर किसी आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आवेदक से प्रवेश के समय मांगे गये प्रमाण पत्र पूर्णतः सही एंव नियमानुसार पाये जाने पर ही उसे प्रवेश की पात्रता होगी। अतः एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करने के पहले आवेदक यह सुनिश्चित करें कि वह चयन की पात्रता/योग्यता रखता है अथवा नहीं। पात्रता/योग्यता संबंधी सभी नियम/शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. शैक्षणिक योग्यताः प्रवेश हेतु सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एंव अजा. अजजा के उम्मीदवारों के लिये 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा।

5. मूल निवासीः मध्यप्रदेश राज्य कोटे के 75 फीसदी स्थानों के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा मूल निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6. विभिन्न संस्थाओं में रिक्त सीटें : बी0एड0 प्रवेश चयन वर्ष 2011–12 द्वारा एक

-

वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त प्रत्याशी निम्नानुसार विभाजित होगें :

1. सामान्य वर्ग, 2. अ.जा., 3. अजजा., 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. बाह्य राज्य के विद्यार्थी

संस्था में उपलब्ध सीटों का श्रेणी एवं संवर्गवार आंवटन नियमानुसार रहेगा। संस्था की कुल उपलब्ध सीटों में से 75 प्रतिशत राज्य के नियमानुसार होगा। संस्था की कुल उपलब्ध सीटों में से 25 प्रतिशत प्रदेश के बाहर निवास करने वाले आवेदकों से भरी जावेगी। द्वितीय चरण के पश्चात् बाह्य राज्यों के आवेदकों की रिक्त रह गई सीट्स तृतीय चरण में म0प्र0 के मूल निवासी आवदकों के लिये उपलब्ध रहेगी। अल्प संख्यकों के लिये संचालित संस्थाओं में प्रवेश के लिये 50 प्रतिशत स्थान अल्पसंख्यक श्रेणी हेतु तथा 50 प्रतिशत स्थान अन्य सभी श्रेणियों के लिये रहेंगे। इसमें अजजा, अजा, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। आरक्षण संबंधी विस्तृत नियम वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7. प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणीकरणः दिनांक 15 नवम्बर से 29 नवम्बर 2011 तक अधिकृत हेल्प सेंटर जो कि शासकीय महाविद्यालय है, के द्वारा आवेदकों को अपने पंजीयन के समय प्रस्तुत जानकारियों का अभिप्रमाणीकरण मूल प्रमाण पत्रों से जैसे – अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हेल्प सेंटर महाविद्यालय के प्राचार्य से करवाना अनिवार्य होगा। अधिकृत हेल्प सेंटर (अग्रणी एवं अन्य महाविद्यालयों) की सूची **www.mponline.gov.in** एवं **mp.gov.in/highereducationmp** वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8. प्रथम चरण की प्रवेश आवंटन सूची दिनांक 05 दिसम्बर, 2011 को प्रदर्शित होगी। दिनांक 5 दिसम्बर से लेकर 14 दिसम्बर, 2011 तक शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा।

9. शुल्क जमा करना (**Deposition of fees in the allotted College**)ः सीट आवंटन पत्र पर संबंधित जिले के अग्रणी एवं इस कार्य हेतु चिन्हित शासकीय महाविद्यालय जिसका नाम अंकित हो, में आवेदक शेष शुल्क की राशि रूपये 20,000/– आवंटित बी.एड. महाविद्यालय के नाम डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा। इसके साथ ही आवेदक अंतिम अध्ययनरत् संस्था का मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्धारित अंतिम तिथि – 14 दिसम्बर तक चिन्हित शासकीय महाविद्यालय में जमा कर सकेगा। शुल्क जमा न करने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

10. दिनांक 17 दिसम्बर को विभिन्न बी.एड. महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की जानकारी एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। प्रवेश अप्राप्त अथवा प्रथम चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने वाले आवेदक वेबसाइट **www.mponline.gov.in** पर पुनः 18 दिसम्बर से 24 दिसम्बर तक बी.एड. महाविद्यालयों हेतु अपनी वरीयता का चयन 50 रूपये शुल्क दे कर सकेंगे। द्वितीय चरण के आवंटन की सूची 29 दिसम्बर को तथा शुल्क भुगतान 04 जनवरी, 2012 तक किया जाएगा।

12. तृतीय चरण में 07 जनवरी, 2012 को पुनः बी.एड. महाविद्यालयों में रिक्त सीटें एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगी। प्रवेश अप्राप्त अथवा द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेने वाले आवेदक पुनः इस चरण में 08 जनवरी, 2012 से 14 जनवरी, 2012 तक पंजीकृत आवेदक, बी.एड. महाविद्यालयों की वरीयता के साथ 5 जिलों की वरीयता निर्धारित शुल्क रूपये 50 देकर व्यक्त कर सकेंगे।

    द्वितीय चरण में रिक्त रह गई आरक्षित सीटें तृतीय चरण में सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही द्वितीय चरण के पश्चात् बाह्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रिक्त रह गई सीटें भी म0प्र0 के सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए तृतीय चरण में उपलब्ध होंगी।

13. तृतीय चरण की प्रवेश आवंटन सूची दिनांक 17 जनवरी, 2012 को वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। इस चरण में शुल्क भुगतान दिनांक 18 जनवरी से 25 जनवरी, 2012 तक किया जायेगा।

14. 01 फरवरी, 2012 को तृतीय चरण में जिलेवार व्यक्त वरीयता के आधार पर आवंटन सूची प्रदर्शित की जायेगी तथा विद्यार्थी 02 फरवरी से 08 फरवरी, 2012 शुल्क भुगतान कर सकेंगे। इस आवंटन के पश्चात् रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थी दिनांक 10 एवं 11.2.12 को गुणानुक्रम के आधार पर शुल्क भुगतान कर सकें।

15. नियमित कक्षाओं का प्रारंभ : दिनांक 2 फरवरी, 2012 से समस्त महाविद्यालयों में अध्ययन कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

16. यदि प्रवेश के बाद भी आवेदक की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई कमी पायी जाती है तो तत्काल प्रभाव से उसका प्रवेश निरस्त कर सम्पूर्ण शुल्क रूपये 25,000/– राजसात कर लिया जावेगा । इसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

17. गुणानुक्रम के आधार पर आवेदक को सीट आवंटन न होने की स्थिति में उसके द्वारा जमा पंजीयन राशि से प्रकिया शुल्क काटकर वापस कर दी जावेगी ।

18. प्रवेश हेतु निर्धारित विभिन्न चरणों की उपरोक्तानुसार घोषित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन करने का अधिकार शासन का होगा। तिथियां परिवर्तित होने पर इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।

19. किसी भी विवाद अथवा नियम की व्याख्या के संबंध में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग का निर्णय अन्तिम एंव बाध्यकारी रहेगा।

नोट : ऑनलाइन पंजीयन करते समय किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु दूरभाष कमांक 0755–4019401, 4019402, 4019403, 4019404, 4019405, 4019406 एंव 2551573 पर संपर्क किया जा सकता है।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल